

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) निवाड़ जिला टोंक
इजलास अनिता कुमारी खटीक (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) निवाड़ जिला टोंक
दावा संख्या :- 25 / 2023
निर्णय दिनांक :- 16/02/2024

- उनवान
1. रमेशचन्द पुत्र श्री कल्याण जाति जाट निवासी नटवाडा तहसील निवाड़ जिला टोंक
- बनाम
1. ईश्वर सिंह पुत्र प्रभू सिंह जाति राजपूत निवासी नटवाडा तह0 निवाड़ जिला टोंक.
 2. राजेन्द्र सिंह पुत्र प्रभू सिंह जाति राजपूत निवासी नटवाडा तह0 निवाड़ जिला टोंक.
 3. हनुमान सिंह पुत्र प्रभू सिंह जाति राजपूत निवासी नटवाडा तह0 निवाड़ जिला टोंक.
 4. रतन कंवर पुत्री प्रभू सिंह जाति राजपूत निवासी नटवाडा तह0 निवाड़ जिला टोंक.
 5. उच्छवकंवर पुत्री प्रभू सिंह जाति राजपूत निवासी नटवाडा तह0 निवाड़ जिला टोंक.
 6. कैलाश कंवर पुत्री प्रभू सिंह जाति राजपूत निवासी नटवाडा तह0 निवाड़ जिला टोंक.
 7. कृष्णा कुमारी पुत्री गुलाब सिंह जाति राजपूत निवासी नटवाडा तह0 निवाड़ जिला टोंक.
 8. गिरिराज सिंह दत्तक पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी नटवाडा तह0 निवाड़ जिला टोंक.
 9. ज्ञान बाई पुत्री गुलाब सिंह जाति राजपूत निवासी नटवाडा तह0 निवाड़ जिला टोंक.
 10. दशरथ सिंह पुत्र गुलाब सिंह जाति राजपूत निवासी नटवाडा तह0 निवाड़ जिला टोंक.
 11. भगवान सिंह पुत्र गुलाब सिंह जाति राजपूत निवासी नटवाडा तह0 निवाड़ जिला टोंक.
 12. सत्यनारायण सिंह पुत्र गुलाब सिंह जाति राजपूत निवासी नटवाडा तह0 निवाड़ जिला टोंक.
 13. रघुवीर सिंह पुत्र स्व0 फूल सिंह जाति राजपूत निवासी नटवाडा तह0 निवाड़ जिला टोंक.
 14. नाथू सिंह पुत्र स्व0 फूल सिंह जाति राजपूत निवासी नटवाडा तह0 निवाड़ जिला टोंक.
 15. सुरजान सिंह पुत्र स्व0 फूल सिंह जाति राजपूत निवासी नटवाडा तह0 निवाड़ जिला टोंक.
 16. वीर सिंह पुत्र स्व0 फहफ सिंह जाति राजपूत निवासी नटवाडा तह0 निवाड़ जिला टोंक.
 17. शम्भू सिंह पुत्र स्व0 फहफ सिंह जाति राजपूत निवासी नटवाडा तह0 निवाड़ जिला टोंक.
 18. तहसीलदार निवाड़ निवाड़ तह0 जिला टोंक.

उपस्थित :- 1 श्री रामकल्याण पुनिया (अधिवक्ता वादीगण) प्रतिवादीगण
2 प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई।

दावा बाबत तकासमा आराजियात

निर्णय

वादपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि:-

आराजियात खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1053 रकबा 2.11189 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा 1/2 वाके ग्राम नटवाडा तहसील निवाड़ जिला टोंक में स्थिति भूमि में है जिसमे वह काशत कर अपना व अपने परिवार का कब्जा काशत करता चला आ रहे है। उक्त वादग्रस्त ख0न0 के दक्षिण में स्थित भूमि के 1/2 हिस्से पर वादी का व शेष 1/2 हिस्से की भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा काशत चला आ रहा है। उक्त खसरा नम्बर के उत्तर की तरफ की भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा काशत है और उसी स्थान पर प्रतिवादीगण काशत करते चले आ रहे है। उक्त खसरा नम्बर के दक्षिण में स्थित खसरा नम्बर 1054 की भूमि वादी की खातेदारी की भूमि है जिसके उत्तर में उक्त खसरा नम्बर 1053 की भूमि स्थित है जिसके दक्षिणी भाग पर वादी का कब्जा काशत वर्षों से बदस्तूर लगातार चला आ रहा है। लेकिन उक्त भूमि का विधिवत रूप से विभाजन नहीं होने की वजह से आये दिन भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। इसलिये वादी के लिये यह आवश्यक हो गया कि वह मुताबिक मौके कब्जे अनुसार विधिवत विभाजन करवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवावे यदि मुताबिक मौके कब्जे अनुसार उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में विधिवत रूप से तकासमा कर अमल दरामद नहीं किया जाता है तो वादी को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकेगी, आये दिन लडाई झगडे टन्टे होंगे। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का उक्तानुसार मुताबिक मौके अनुसार विधिवत विभाजन किया जाना नितान्त आवश्यक एवं न्यायसंगत।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण के खिलाफ असालतन वकालतन गैर हाजिर होने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गई। बहस वादी एवं वादी के अधिवक्ता ने साक्ष्य पेश नहीं कर सीधे ही वादी का वाद पीओडी० किये जाने हेतु निवेदन किया। वादी का साक्ष्य बन्द किय गया। वकीलवादी की बहस सूनी गई। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र तकासमा बाद नियमित सुनवाई इस न्यायालय द्वारा दिनांक

28.08.2025 को प्राथमिक डिकी किया जाकर ग्राम नटवाडा तहसील निवाई के खसरा संख्या 1053 की भूमि का मौके व कब्जे अनुसार विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्राथमिक डिकी के आदेश दिये जाकर तहसीलदार निवाई को कुर्रैजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार निवाई द्वारा आदेशानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 12.01.2025

को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वादीगण ने सहमति जताई है।

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 कब्जे काश्त आधार पर स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार बंटवारा किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा	लगान
1	नटवाडा	रमेश चन्द्र पुत्र कल्याण हि० पूर्ण जाति जाट सा० दे० खातेदार राहिन बडौदा राज० क्षेत्र० ग्रामीण बैंक शाखा नटवाडा	1053/2	1.0559	4.17
	योग		1	1.0559	4.17

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा	लगान
2	नटवाडा	ईश्वर सिंह पुत्र प्रभूसिंह हि० 1/30 फहफ सिंह पुत्र मानसिंह हि० 1/5 भगवानसिंह पुत्र गुलाब सिंह 1/25 रघुवीरसिंह पुत्र फूलसिंह 1/30 रतनकंवर पत्नि प्रभूसिंह हि० 1/30 रूपकंवर पुत्री फूलसिंह हि० 1/30 राजेन्द्र सिंह पुत्र प्रभू सिंह हि० 1/30 सत्यनारायण सिंह पुत्र गुलाब सिंह हि० 1/25 सूरजकंवर पुत्री फूलसिंह 1/30 सुरज्ञान सिंह पुत्र फूल सिंह 1/30 उच्छवकंवर पुत्री प्रभूसिंह 1/30 कृष्णाकुमारी पुत्री गंलाब सिंह 1/25 गिरीराज सिंह दत्तक पुत्र भंवरसिंह हि० 1/5 राहिन बीआरकेजीबी नटवाडा ज्ञानबाई पुत्री गुलाब सिंह 1/25 दशरथ सिंह पुत्र गुलाब सिंह हि० 1/25 नाथूसिंह पुत्र फूलसिंह हि० 1/30 जाति राजपूत सा० दे० खातेदार	1053/1	1.0560	4.17
	योग		1	1.0560	4.17

तहसीलदार निवाई को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करने के आदेश दिये जाते है पर्चा डिकी जारी हो फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे। यह निर्णय आज दिनांक 16.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनिता कुमारी खटीक
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(डिक्री मुकदमा इब्तादाई)

(अनिता कुमारी खटीक आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई)

उनवान

रमेशचन्द बनाम ईश्वर सिंह

मुकदमा नम्बर :- 5/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू अनिता कुमारी खटीक आर.ए.एस. ब हाजरी श्री रामकल्याण पुनिया वकील वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद वादी डिक्री किया जाता है कि तहसीलदार निवाई से प्राप्त कूर्रजात रिपोर्ट पर बहस विद्वान अभिभाषक वादी सुनी गई। वाद वादी मुताबिक पी.डी. रिपोर्ट डिक्री किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण की खसरा संख्या 1053 वाके ग्राम नटवाडा तहसील निवाई जिला टोंक में भूमि का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा	लगान
1	नटवाडा	रमेश चन्द्र पुत्र कल्याण हि० पूर्ण जाति जाट सा० दे० खातेदार राहिन बडौदा राज० क्षेत्र० ग्रामीण बैंक शाखा नटवाडा	1053/2	1.0559	4.17
	योग		1	1.0559	4.17
2	नटवाडा	ईश्वर सिंह पुत्र प्रभूसिंह हि० 1/30 फहफ सिंह पुत्र मानसिंह हि० 1/5 भगवानसिंह पुत्र गुलाब सिंह 1/25 रघुवीरसिंह पुत्र फूलसिंह 1/30 रतनकंवर पत्नि प्रभूसिंह हि० 1/30 रूपकंवर पुत्री फूलसिंह हि० 1/30 राजेन्द्र सिंह पुत्र प्रभू सिंह हि० 1/30 सत्यनारायण सिंह पुत्र गुलाब सिंह हि० 1/25 सूरजकंवर पुत्री फूलसिंह 1/30 सुरजान सिंह पुत्र फूल सिंह 1/30 उच्छवकंवर पुत्री प्रभूसिंह 1/30 कृष्णाकुमारी पुत्री गंलाब सिंह 1/25 गिरीराज सिंह दत्तक पुत्र भंवरसिंह हि० 1/5 राहिन बीआरकेजीबी नटवाडा ज्ञानबाई पुत्री गुलाब सिंह 1/25 दशरथ सिंह पुत्र गुलाब सिंह हि० 1/25 नाथूसिंह पुत्र फूलसिंह हि० 1/30 जाति राजपूत सा० दे० खातेदार	1053/1	1.0560	4.17
	योग		1	1.0560	4.17

तहसीलदार निवाई को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करने के आदेश दिये जाते है। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।
बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16/02/20 को जारी की गई।

अनिता कुमारी खटीक
(आर.ए.एस.)

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई